संख्या : 372/XLI-1/2016–32/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 18 मार्च, 2016

विषयः निदेशालय प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 645/नि.प्रा.शि/लेखा/पुनर्विनियोग/2015–16 दिनांक 03.03.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय 'निदेशालय प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु धनराशि ₹ 34500 हजार (₹ तीन करोड पैतालीस लाख मात्र) को संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी.एम.–9 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 01.04.2015 एवं दिनांक 17.11.2015 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी अधिष्ठान के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रहीं है।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2016 तक उपयोग करके व्यय विवरण शासन एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष मात्र उस सीमा तक ही धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाएगा, जिस सीमा तक दिनांक 31.3.2016 तक वास्तविक रूप से व्यय किया जाना सम्भव हो।
7. जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उन मदों में कदापि अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

क्रमशः...

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–11' के 'आयोजनागत' पक्ष में संलग्न बी.एम.–9 के अनुसार दिये गये मदों के नाम डाला जायेगा

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 183/XXVII-I/2012दिनांक 28.03.2012 में निहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आंवटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलाटमेंट आई.डी. संख्याः S1603110323 के अंतर्गत वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 423(P)/XXVII(3)/2016 दिनांक : 16 मार्च, 2016 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : बी.एम.–9

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 372 (1)/XLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रीनगर।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।